

## Doon University, Dehradun

## Point No.- 4: Information about Allotment of Land for the construction of Doon University

 $79(1)\ 18(1)/2005\ dated\ 28^{th}\ Feb\ 2005\ \&\ 470/18(1)/2005\ dated\ 16^{th}\ July\ 2005$ A- Government order no.

Owner of Land Doon University

Area of Land 25 Acres and 30 Acres -Total 55 Acres

Mothrowala Road, Kedarpur, Dehradun Place

**Tehsil** Dehradun

District Dehradun

Purpose of land Construction of Residential and Non Residential Building and

Facilities for Doon University

73//18(1)/2006 dated  $26^{th}$  July 2011 and **B-** Government order no.

278(1)/XVIII(II)/2011 dated 26<sup>th</sup> July 2011 (reallocated)

Owner of Land **Doon University** 

Area of Land 40.330 Hectare

Place Village Chharba, Sahaspur

**Tehsil** Vikasnagar

Dehradun District

Purpose of land Construction of Residential and Non Residential Building and

Facilities for Doon University

For Terms and Conditions G.O. are attached

प्रेषक.

एन०एस०नपलक्षाल, प्रमुख सचिव, उत्तरांचल शक्षि।

रोवामें,

अपर मुख्य संगित्र उत्तरांचल शासित्र। 1 2.01.1 1.1k1./200.

राजस्य अनुभाग

देहरादूनः दिनां के 2 फिरवरी, 2005

विषय:-दून विश्वविद्यास्त्रय की स्थापना हेतु ग्राम केदारपुर जनपद देहरादून की 25 एकड़ भूमि: इच्च शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तान्तारेत किये जाने के राज्यन्व में।

महोद्य,

उपर्युवत विषयमा जिलाधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या+2455/आठलेठ-04 दिनांक 13 नवम्बर, 2404 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय विह्ता अनुभाग-3 उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या-260/विठानु०-3/2002 दिनांक 15 फरवरी, 2002 के कम में जनपदा देहरादून के ग्राम केदारपुर के खसरा नागर- 355 ग में से कुल 25 एकड़ (10.117 है0) भूमि दून विश्वविद्यालाग्य की रथापा हेतु उच्च शिक्षा विभाग को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ नि:शुल्क हरतान्तरण किंगो जाने की सहर्ष रवीकृति प्रदान करते हैं:-

(1).10

- 2/3
- 1- भूमि पर कोई बार्किक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- 2— जिस परियोजनी कि लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसकेश्विलए आवश्यक प्राविधान किया जा चुका हो
- 3— हरतान्तिरित भूमि।श्विदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये भूमाविभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा और यदि भूमि की आवश्यकता न हो या शिश्वर्ण तक हरतान्तिरत भूगि प्रस्तावित कार्य की लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है तो अश्व मूल विभाग को वापस करना होगा। ...(2)

कृपया प्रेम्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(एन०एस०नपलच्याल) -प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्विश्वीक।

प्रतिलिपि:क्षान्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हतु प्रेषित:-

- मुख्य राजाक्षव आयुवत, उत्तरांचल, देहरादून।
- आय्वतः। भिद्वाल मण्डल, पोडी।
- जिलाधिक्षाणि, देहरादून। गार्ड फांक्षभा

आज़ा से,

(सोहन लाल) अपर सचिव।

as famige of each ed see family the of Restalled acts of

इस्तान्त्रका अन्य दान को सहय रहिन्दी प्रदास करते हैं -

हो। भार उससे है से उन्हों पूल विभाग को गांपल करना हो है।

लंख्या ? 1.7 ] . म. स. रा / 200 विनांक .... २०१३ ..... 2005

प्रेयक,

संख्याः 4 । 18(1) / 2005

एन०एस०नभलाद्यात. प्रमुख राचिष उत्तरावल आक्षान।

संदाग्

प्रमुख सचियः उंच्य शिक्षा शिक्षाग, उत्तरांचल शासन्।

राजरव विभाग

देहरादून: तिंग(के 16 जुलाई, 2005

विषयः दून विश्वविद्याक्षयं की स्थापना हेतु अतिरिक्त 9.762 🕸 भूमि निःशुल्क आवंटित किये जाने की आधार में।

महोद्य,

उपर्युक्त विष्णाम जिलाधिकारी देहरादून के पत्र लख्याम१४२/१२ए-९४(२००२-०५) दिनांक 4 मार्च, 200 मार्च, सन्दर्भ ने मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्त विभागी आक्षा हासनादेश संख्या-260 / वि०अनु०-3 / ७००२ दिनांक 15-2-2002 के कम में अधिसूचित्राक्षाक्षाक्ष्या-ए०३२१० 09/18(1)/2005 दिनीक्ष 12 जुलाई, 2005 के माध्यम से राज्य सरिक्षाद द्वारा नगर निगम देहरादून से पुर्नग्राक्षत जनपद देहरादून की तहसील देहरादून के श्रीमान इन्हेंपुर को खतरा नं० 38/2 रकका 16.00 है। भूमे एवं ग्राम कंदारपुर की खसरा बिम्री 355 में रक्तवा 0.022 हैं0, खसरा नं0 1151 क रकबा 3.00 है0, खसरा नं0 398 रकवाष्ट्राक्षि 670 हैं0, उसरा नं0 355 ख रकवा 0 2070 हैं0 भूमि अर्थात कुल रकता 9.762 है0 भूबिको दून विश्वदिद्यालय की रधापना हेर्नु उच्च शिक्षा विभाग को निम्निलिखित शर्तों की आबान निःशुल्क आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:--भूमि पर कोई खिएक अथवा एतिहासिक महत्व की इनारतात हो।

जिस परियोगीनामा है लिए पूरी हल्लानारित की जा रही है कह एक अनुनोदित परियोजना हो। मा जगहे तिए आवस्यक प्राविधान किलाभका चुका हो तथा केदल उतनी ही पूर्ति। हस्तान्तान् किया जाएं जिल्ला कान विशेष के लिए आवश्यक डो।

- हस्तान्तरित भारी यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिखे मूल विभाग सं पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा और यदि भूमि की आवश्यकता में हा या 3 वर्षों तक इस्तान्तरित भूमि प्रस्ताधित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई मीती है तो उसे मूल विभाग को वापस करता होगा।
  - कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें

(एन०एस०नेपलच्याल) अमुख सचिव।

संख्या एव तद्दिनाता।

प्रतिलिपि महिन्तिखित को सूचनार्ध एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- मुख्य राजामा । आयुक्त, जलारीयल, देहरादून।
- आयुर्वतः, गाइवाल मण्डल, पाँडी।
- सचिव, श्राह्मी विकास विमाग, उत्तरांचल शासन।
- जिलाधिकाण देहरादून।
- निदेशक गान0आईएसीट उत्तरांचल। 4-
- गार्ड फाइकि।

आज्ञा से,

(सोहन लाल) अपर सचिव। ग्रन्थ्यान्यस्याल्, ज्ञास्यित् उत्तरांचल् शासन्।

सेवामें

प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तरांचल शासन।

राजरव विभाग देहरातूनः दिनांकः 🕗 रे मार्च, 2006 विषय:—दून विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु ग्राम छरबा जनपद देहरादून में 40.330 हैं0 अतिरिवत भूभि निःशुल्क आवंटन के सम्बन्ध में।

गहोदय,

जपर्युवत विषयक जिलाधिकारी देहरादून के पत्र संख्या—947 / 12ए—22(205—05) डीoएलoआरoसीo दिनांक 13 फरवरी, 2006 एवं शासनादेश संख्या—79(1) / 18(1) / 2005 दिनांक 28—2—2005, शासनादेश संख्या—470 / 18(1) / 2005 दिनांक 16—7—2005 एवं शासनादेश संख्या—73 / 18(1) / 2006 दिनांक 23—1—2006 कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्त अनुभाग—3 उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या—260 / वि०अनु०—3 / 2002 दिनांक 15 फरवरी, 2002 की व्यवस्थानुसार ग्राम करवा तहसील विकासनगर जनपद देहरादून के खाता संख्या—1139 के खसरा नं0—253क रकवा 3.568हैo, खसरा नं0—260ट रकवा 2.222हैo, खसरा नं0—278ख रकवा 1.135हैo, खसरा नं0—1530क रकवा 1.822हैo, खसरा नं0—1531ख रकवा 2.729हैo, खरारा नं0—1532ख रकवा 1.100हैo तथा खाता संख्या—1147 के खसरा नं0 260ख रकवा 14.187हेo, खसरा नं0—1531क रकवा 3.223हैo, खसरा नं0—1532क रकवा 2.284हैo, खसरा नं0—1618 रकवा 2.060हैo, खसरा नं0—17क रकवा 6.000हैo अर्थात चुल रकवा 40.330हैo भूगि दून विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु उच्च शिक्षा विभाग, उत्तरांचल शासन को निमालिखित शर्तो के अधीन निभुक्क हस्तानारित करने की सहर्प स्वीकृति प्रदान करते है:—

- 1- शूनि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- 2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उराके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

(2)

- 3— हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 4— यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूगि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है तो उसे मूल विभाग को वापरा करना होगा।
- 5— जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की गई है उसरा गिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि, को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- 6- जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की गई है उसकी पूर्ति के उपरान यदि भूगि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
- 7— प्रश्नगत भूमि पर खड़े वृक्षों के पातन हेतु नियत प्राधिकारी, वन विभाग से अनापित प्राप्त करनी होगी।
- 2- कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भव्दीय,

(एन०एर्स०नपलच्याटः) प्रमुख राचिम।

संख्या एवं तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- ' मुख्य राजस्य आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।

2-- आयुक्त, गईवाल मण्डल, पौड़ी।

्र जिलाधिकारी, देहरादून।

4- एन०आई०सी० उत्तरांचल, देहरादून।

ं-गार्ड फाईल।

) आझा थो, (राोहन लास)

्राता वःति ः